

बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/12-07/2018 २० पटना, दिनांक- ०५-०२-१९

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०स०),
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, जहानाबाद, किशनगंज एवं सीतामढ़ी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पाद का द्रुत सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत ₹ 5,36,320/- (पाँच लाख छत्तीस हजार तीन सौ बीस रुपये) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक-28.03.2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2018 पर दिनांक-06.12.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-३५ एवं विपत्र कोड-35-3454022040408 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 5 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, जहानाबाद, किशनगंज एवं सीतामढ़ी होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

[Signature] N. N.

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ अनुवर्ती माह के 05वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

बजट सहाय प्रशाखा पदार्थ

प्रशाखा पदार्थ

उप निदेशक

(ले०)

संयुक्त निदेशक

(प्रशासन)

विश्वासभाजन

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक

ज्ञापांक- २० /पटना, दिनांक- ०५-०२-१९

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- २०

/पटना, दिनांक- ०५-०२-१९

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना,
2. कोषागार पदाधिकारी पटना, जहानाबाद, किशनगंज एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- २०

/पटना, दिनांक- ०५-०२-१९

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (कृषि) अर्थ एवं संरिख्यकी निदेशालय, बिहार, पटना।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने एवं निर्गत करने हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक संरिख्यकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं संरिख्यकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करने एवं निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक

आवंटन विवरणी


तुम्हे शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02— सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204—केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष—0408— क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 का आवंटन विवरणी। मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड— 35—3454022040408 (TRS)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	योग— वेतन एवं भत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निदेशालय (मुख्यालय)	100000	10000	18770	6500	2000	137270
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
2	पटना	75000	7500	12000	3250	1000	98750
3	जहानाबाद	100000	10000	8000		1000	119000
4	किशनगंज	75600	7600	7600		1000	91800
5	सीतामढ़ी	75000	7500	6000	0	1000	89500
कुल योग:-		425600	42600	52370	9750	6000	536320

(पाँच लाख छतीस हजार तीन सौ बीस) रुपये मात्र।


बजार सहायक


प्रशाखा पदार्थ


उप निदेशक (ले०)


संयुक्त निदेशक(प्र०)


निदेशक